

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08

जयपुर दिनांक 01/4/23

:: आदेश ::

श्री राजेन्द्र यादव, (पंजीयन क्रमांक आर/162/1985) राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं।

आज्ञा से,

६०

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव/विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश।
5. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
6. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज0।
7. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बेंच।
8. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. समस्त राजकीय अधिवक्तागण/प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
10. संबंधित अधिवक्ता।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
14. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
15. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
16. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. लेखा शाखा, विधि(वादकरण) विभाग।
20. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।


01/4/2023
शासन सचिव, विधि